

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय भोपाल


कमॉक/बी-8-8/2014/14-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 जून 2014

1. कलेक्टर (समस्त)  
जिला.....(म0प्र0)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त)  
जिला पंचायत..... (म0प्र0)
3. संयुक्त संचालक (समस्त)  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
संभाग.....(म0प्र0)
4. उप संचालक (समस्त)  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
जिला.....(म0प्र0)
5. परियोजना संचालक, आत्मा (समस्त)  
जिला.....(म0प्र0)

विषय-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कलस्टर प्रदर्शन डालने हेतु दिशा-निर्देश विषयक।  
संदर्भ-इस विभाग का ज्ञाप कमॉक बी-8-8/2014/14-2 दिनांक 16 मई 2014 एवं  
19 मई 2014


राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कलस्टर प्रदर्शन डालने हेतु दिनांक 16 मई 2014 के जारी दिशा-निर्देश की कण्डिका 7.3 तथा 7.4 को विलोपित किया जावे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कलस्टर अथवा सामान्य प्रदर्शन अंतर्गत उक्त परिपत्र दिनांक 16.5.2014 के अनुसार सहकारी समितियों का बंधन लागू नहीं होगा। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेगे।

  
(मन्त्री मोहन उपाध्यक्ष)  
अपर मुख्य सचिव एवं  
कृषि उत्पादन आयुक्त

पृ0कमॉक/बी-8-8/2014/14-2  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24 जून 2014

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, मान. मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल।
6. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म0प्र0 भोपाल।
7. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/रा.कृ.वि.प्र.संस्थान, भोपाल।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग